

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशोंक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ / /2023 दि0 लखनऊ: 11 अगस्त, 2023

-:: संशोधित आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशोंक 915/2023 दिनांक 13-07-2023 के द्वारा गाजियाबाद में युगलपीठ का गठन दिनांक 21-08-2023 से 24-08-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ गोरखपुर एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ को नामित किया गया था।

सदस्य पीठ-2, लखनऊ द्वारा व्यक्तिगत एवं आवश्यक कार्यवश उक्त अवधि में गाजियाबाद में गठित युगलपीठ में सम्मिलित होने में मौखित रूप से असमर्थता व्यक्त की गयी है। अतः उनके द्वारा उक्त युगलपीठ से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समस्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ के स्थान पर सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, गाजियाबाद को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-11-08-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/पू0पी0संशो0/1112/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-2, लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ- गोरखपुर।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ-1 व 2, गाजियाबाद।
- 4- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) /विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी /नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।